<u>संख्या-166/एक-10-2025</u>

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, ललितपुर, उन्नाव, मीरजापुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, इटावा, एटा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, चंदौली, झांसी, देवरिया, प्रयागराज, फतेहपुर, बरेली, बस्ती, लखनऊ, सुलतानपुर, सोनभद्र एवं मैनपुरी ।

राजस्व अनुभाग 10-लखनऊः दिनांकः 27-02-2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सं0-303/1-11-2016-4(जी)/ 2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 22,97,66,000.00 (रू0 बाइस करोड़ सततानबे लाख छाछठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रमांक	जनपद	उपमद	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**
1	**सीतापुर**	सर्पदंश	30,00,000.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	20,00,000.00

2	आजमगढ़	सर्पदंश	50,00,000.00	150.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00	
3	बलिया	सर्पदंश	40,00,000.00	100.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	60,00,000.00	
4	गोरखपुर	सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु	4,00,000.00	104.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00	
5	ललितपुर	सर्पदंश	30,00,000.00	
6	उन्नाव	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	30,00,000.00	180.00
		सर्पदंश	50,00,000.00	
		डूबने से होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00	
7	मीरजापुर	डूबने से होने वाली मृत्यु	90,00,000.00	
8	सिद्धार्थनगर	आंधी-तूफान	20,00,000.00	170.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	1,50,00,000.00	
9	लखीमपुर खीरी	सर्पदंश	50,00,000.00	
10	रायबरेली	डूबने से होने वाली मृत्यु	50,00,000.00	
11	अम्बेडकर नगर	डूबने से होने वाली मृत्यु	30,00,000.00	60.00
		सर्पदंश	30,00,000.00	
12	अयोध्या	सर्पदंश	80,00,000.00	
13	इटावा	डूबने से होने वाली मृत्यु	50,00,000.00	
14	एटा	सर्पदंश	30,00,000.00	39.00
		बोरवेल में गिरना	3,00,000.00	
		सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु	6,00,000.00	
15	औरैया	सर्पदंश	50,00,000.00	
16	कन्नौज	डूबने से होने वाली मृत्यु	30,00,000.00	
17	कानपुर देहात	सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु	8,00,000.00	38.00
		सर्पदंश		

			30,00,000.00	
18	कुशीनगर	सर्पदंश	40,00,000.00	100.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	60,00,000.00	
19	चंदौली	सर्पदंश	70,00,000.00	120.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	50,00,000.00	
20	झांसी	डूबने से होने वाली मृत्यु	40,00,000.00	
		सर्पदंश	40,00,000.00	
		आकाशीय विद्युत	10,00,000.00	105.00
		बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	10,00,000.00	
		आंधी-तूफान	5,00,000.00	
21	देवरिया	डूबने से होने वाली मृत्यु	50,00,000.00	
22	प्रयागराज	आंधी-तूफान	1,00,00,000.00	104.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	4,00,000.00	
23	फतेहपुर	सर्पदंश	30,00,000.00	50.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	20,00,000.00	
24	बरेली	डूबने से होने वाली मृत्यु	16,00,000.00	
		सर्पदंश	16,00,000.00	48.00
		सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु	16,00,000.00	
25	बस्ती	सर्पदंश	12,00,000.00	
		बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	10,00,000.00	
		सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु	8,00,000.00	50.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	20,00,000.00	
26	लखनऊ	सर्पदंश	20,00,000.00	40.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	20,00,000.00	
27	सुलतानपुर	सर्पदंश	20,00,000.00	
28	सोनभद्र	बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि	25,16,000.00	

		आकाशीय विद्युत	19,75,000.00
		सर्पदंश	19,25,000.00
		डूबने से होने वाली मृत्यु	2,21,50,000.00
29	**मैनपुरी**	मानव वन्य जीव द्वन्द (जंगली जानवरों का हमला)	4,00,000.00
कुल योग			**22,97,66,000.00**
(रू0 बाइस करोड़ सत्तानबे लाख छाछठ हजार मात्र)			

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध

कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 22,97,66,000.00 (रू0 बाइस करोड सत्तानबे लाख छाछठ हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 27.02.2025 (शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

<u>संख्या-166(1)/एक10-2025-, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. - सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3\. - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

4\. - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5\. - वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

6\. - सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

7\. - वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

8\. - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-28/02/2025

प्रेषण संख्या:- 166
आवंटन आदेश संख्या:- 001-166
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 28200000	400000 28200000
2	एटा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3900000 27400000	3900000 27400000
3	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800000 37900000	4800000 37900000
4	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 25200000	5000000 25200000
5	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 56518900	5000000 56518900
6	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10400000 44900000	10400000 44900000
7	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10500000 36978000	10500000 36978000
8	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 53000000	9000000 53000000
9	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 34000000	10000000 34000000
10	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10400000 66600000	10400000 66600000
11	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 27600000	5000000 27600000
12	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 48671000	15000000 48671000
13	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 32000000	5000000 32000000
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 19200000	4000000 19200000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
15	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000000 50604000	18000000 50604000
16	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 51967500	5000000 51967500
17	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 71285500	5000000 71285500
18	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 76900000	5000000 76900000
19	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 38000000	8000000 38000000
20	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 37708000	2000000 37708000
21	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 44000000	3000000 44000000
22	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3800000 53800000	3800000 53800000
23	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17000000 60900000	17000000 60900000
24	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28566000 104437500	28566000 104437500
25	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 53375832	10000000 53375832
26	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 40500000	6000000 40500000
27	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12000000 45800000	12000000 45800000
28	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 27900000	5000000 27900000
29	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 27000000	3000000 27000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	229766000 1322346232	229766000 1322346232

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ सत्तानवे लाख छियासठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब बत्तीस करोड़ तेइस लाख छियालीस हजार दो सौ बत्तीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।